

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2406]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 5, 2015/कार्तिक 14, 1937

No. 2406]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 5, 2015/KARTIKA 14, 1937

**शहरी विकास मंत्रालय**

(दिल्ली प्रभाग)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2015

**का.आ. 3012(अ).**—यतः दिल्ली मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का अधोलिखित क्षेत्र के संबंध में जिन कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 (1957 का 61) की धारा-44 के उपबंधों के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 08.08.2014 की सार्वजनिक सूचना का.आ. सं. 2011 (अ) के रूप में भारत के असाधारण राजपत्र, में प्रकाशित किया गया था जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित आपत्तियां/ सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

2. यतः प्रस्तावित संशोधन के संबंध में पांच आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए थे; और

3. यतः केन्द्र सरकार ने इस मामले के सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद, दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

4. अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 11-क की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से उक्त दिल्ली मास्टर प्लान-2021 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

**संशोधन:**

औद्योगिक क्षेत्र, रोहिणी फेज-V में 1.44 (3.55 एकड़) और 1.21 (2.98 एकड़) स्थल सं० I-4, I-5, क्षेत्र के भूमि उपयोग क्रमशः 'औद्योगिक' से 'उपयोगिता' (यू-4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा) में निम्नानुसार परिवर्तन किया जाता है।

अवस्थिति	क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	भूमि उपयोग (दि.सु.यो)- 2021 एवं जोन 'एम' की क्षे.वि.यो. के अनुसार)	भूमि उपयोग निम्नलिखित में परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
औद्योगिक क्षेत्र, रोहिणी फेज-V	1.44	औद्योगिक	उपयोगिता (यू-4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा)	उत्तर: रानीखेड़ा गांव एवं निर्मित क्षेत्र पूर्व: निर्मित क्षेत्र दक्षिण: प्रस्तावित 30 मी. चौड़ी सड़क पश्चिम: मौजूदा 7.5 मी. चौड़े सड़क के निकट औद्योगिक क्षेत्र
औद्योगिक क्षेत्र, रोहिणी फेज-V	1.21	औद्योगिक	उपयोगिता (यू-4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा)	उत्तर: रानीखेड़ा गांव एवं निर्मित क्षेत्र पूर्व: प्रस्तावित 30 मी. चौड़ा सड़क दक्षिण: प्रस्तावित 30 मी. चौड़ी सड़क पश्चिम: निर्मित क्षेत्र ।

\* संबंधित निकाय को उपर्युक्त उल्लिखित स्थानों में भूमिगत जल और वायु के प्रदूषण को रोकने के लिए उचित निवारक उपाय करना अपेक्षित है ।

[फा. सं. के- 13011/16/2015-डीडी-1]

सुनील कुमार, अवर सचिव

## MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2015

**S.O. 3012(E).**—Whereas certain modification which the Central Government proposed to make in the Master Plan-2021 for Delhi regarding the area mentioned here under were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide S.O. No. 2011(E) dated 08.08.2014 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1957 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by sub-section (3) of Section 11-A of the said Act within thirty days from the date of the said notice.

- Whereas five objections/suggestions were received with regard to the proposed modification and
- Whereas the Central Government have, after carefully considering all aspect of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.
- Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (2) of Section 11-A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

**Modification:**

Change of land use of site no. I-4 & I-5, area measuring 1.44 Ha (3.55 acres) & 1.21 Ha. (2.98 acres) respectively from "Industrial" to "Utility"(U-4, Solid Waste Management Facility) in Industrial Area, Rohini, Phase-V are changed as per description listed below:-

S.No	Location	Area (in Ha.)	Land use (As per MPD- 2021 & ZDP of Zone-M)	Land use changed to	Boundaries
1.	Industrial Area Rohini, Phase-V, Site I-4	1.44	Industrial	Utility (U-4 Solid Waste Management Facility)	<b>North:</b> Village Rani Khera & Built- up Area. <b>East:</b> Built-up Area. <b>South:</b> Proposed 30 M wide Road. <b>West:</b> Industrial Area adjacent to existing 7.5 m wide Road.
2.	Industrial Area Rohini, Phase-V, Site I-5	1.21	Industrial	Utility (U-4 Solid Waste Management Facility)	<b>North:</b> Village Rani Khera & Built-up Area. <b>East:</b> Proposed 30 M wide Road. <b>South:</b> Proposed 30 M wide Road. <b>West:</b> Built up.

\* The concerned body is required to take proper preventive measures to prevent the pollution of underground water and surrounding air at the above mentioned locations.

[F. No. K-13011/16/2015-DD-I]

SUNIL KUMAR, Under Secy.